न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –200/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/242

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मानाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सुखवासी तहसील व जिला–नागौर		तहसीलदार, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मामराज गुणपाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :–28.05.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2024 अन्वान सरकार बनाम मानाराम में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट का अपील की बहस में कथन हैं कि पटवारी हल्का, भवाद तहसील नागौर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक रिपोर्ट तहसील कार्यालय नागौर में इस आशय की पेश करना बताया गया कि मौजा लूणदा के खसरा नं. 5 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गे.मु. रास्ता भूमि पर संवत 2081 में कब्जा (सींव व बाड़) कर अतिक्रमण किया गया है।

उक्त मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण दिनांक 24.7.2024 को दर्ज किया जाकर अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये, तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 14.8.2024 नियत की गयी व उक्त पेशी की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी राजकीय दौरे/ बैंक का चुनाव / अन्य कार्यों में व्यस्त की आदेशिका लिखी जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.9.2024 को नियत की गयी।

प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 3.9.2024 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित, जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय चाहा, समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18.9.2024 को जवाब हेतु नियत करने की आदेशिका दर्ज की गयी।

तत्पश्चात नियत पेशी दिनांक 18.9.2024 को अपीलांट की ओर से जवाब तैयार करवा कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के लिए हमारे अभिभाषक गये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब नहीं लेकर अप्रार्थी अपीलांट व अधिवक्ता उपस्थित होते हुऐ भी अप्रार्थी अनुपस्थित लिख कर निर्णय जैर अपील पारित करते हुऐ अपीलांट को उक्त भूमि पर संवत 2081 में कब्जा करना मान कर अतिक्रमी घोषित करते हुऐ बेदखली व जुर्माना से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 18.9.2024 को एकतरफा में पारित कर दिया गया।

कलक्टर नागौर

इस प्रकार लायक अदालत मातहत तहसीलदार,नागौर का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत, दुर्भावनापूर्वक, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना सुनवाई किये बिना वास्तविक जांच किये, बिना अतिक्रमी साबित हुऐ ही पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि तारीख पेशी दिनांक 18.9.2024 को जवाब हेतु पत्रावली नियत थी, निर्णय के लिए पेशी नियत ही नहीं थी और अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये बिना व जवाब, साक्ष्य सबूत लिये बिना जानबूझ कर अनुपस्थिति दर्ज करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित किया होने से विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलांट ने रास्ता के किसी भी भूभाग पर कोई कब्जा / अतिक्रमण किसी भी रूप में नहीं किया गया है,जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि खेत खसरा नं. 6 रकबा 1.5054 हैक्टेयर वाके लुणदा की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज रहती आई है, अपीलांट के भाई डूंगरराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा मनीष नाम का डूंगरराम के कोई पुत्र नहीं है बल्कि डूंगरराम का जायंदा पुत्र मूलाराम खिलेरी है जो सन 1998 में ही अपीलांट ~~के भाई~~ मानाराम के गौद चला आया था, इस प्रकार मूलाराम खिलेरी अपीलांट ~~के भाई~~ मानाराम के साथ ही निवास करता आ रहा है जिसका डूंगरराम की सम्पति में कोई हित निहित नहीं करता है अपीलांट ने अपने खेत के पश्चिम में स्थित कटाणी रास्ता खसरा नं. 5 के 0.03 हैक्टेयर या अन्य किसी भूभाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट के खेत के खसरा नं. 6 की पश्चिमी माठ पर पट्टिया रोप कर कांटेदार तार खींच कर तारबंदी की हुई रहती चली आई है। अपीलांट ने कभी भी रास्ता के किसी भी भूभाग पर कोई सींव व बाड़ कर अतिक्रमण नहीं किया है कथित कार्यवाही मिलावटी तौर पर दुर्भावनापूर्वक की गयी है व इस संबंध में पटवारी के कोई बयान लिये बिना व जिरह का अवसर दिये बिना ही मिथ्या रिपोर्ट को आधार बना कर सरसरी तौर पर ही निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

कटाणी रास्ता खसरा नं. 5 वाके लूणदा पर नरेगा योजना के तहत कार्य करवाने बाबत ग्रामवासीयो ने श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार नागौर के आदेश क्रमांक भू.अ. / सी.ज्ञान / 2024 / 2815–16 दिनांक 20.5.2024 की पालना में कटाणी रास्ता का चिन्हीकरण करने बाबत हल्का पटवारी भवाद व भूअभिलेख निरीक्षक कुमारी को तहसीलदार ने आदेशित किया, जिसकी पालना में तथा कथित मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2024 को तैयार कर सीमाज्ञान कर रास्ता के चिन्ह कायम करना बताया गया था, जिसके संबंध में अपीलांट को सूचित ही नहीं किया एवं न ही अपीलांट की उपस्थिति में ऐसे कोई सीमा चिन्ह ही कायम किये गये थे। सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2024 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि सीमाज्ञान बाबत नाप किसी मुन्तकिल बिन्दू से किया जाकर व जरीब किस बिन्दु से चला कर लिया व कितने जरीब व गट्टा पर खसरा नं. 5 के सीमा चिन्ह कायम किये गये? किस रूप में अतिक्रमण किस–किस खसरे में, कितनी लम्बाई चौड़ाई में अतिक्रमण पाया गया? आदि तथ्यो का उल्लेख मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2024 में नहीं है न ही रिपोर्ट के साथ कोई नजरी नक्शा ही नाप का इन्द्राज करते हुऐ

कलक्टर नागौर

दर्शाकर बनाया गया है। फिर भी आधारहीन मौका रिपोर्ट को आधार मान कर निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

मौके पर कटाणी रास्ता खसरा नं. 5 नक्शा के अनुसार चौड़ाई में चालू रहता चला आया है एवं रास्ता पर ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है एवं आवागमन सुचारू रूप से चालू रहता चला आया है। उक्त रास्ता आगे उतर में ग्राम सुखवासी की कांकड़ में वार्ड पंच सोहनराम खिलेरी के खेत के बराबर अवरोध होकर संकड़ा रहता आया है जिससे आमजन को आगे उतर में स्थित राजकीय विधालय व आंगनवाड़ी केन्द्र तक आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसे भी बाद नाप चोप रास्ता पूर्ण चौड़ाई में आवागमन हेतु खुला करवाना उचित व न्याय संगत था व साथ ही कटाणी रास्ता खसरा नं. 5 का भी मुन्तकिल बिन्दुओ, कांकड़ मुड्डो से नाप करवा कर उसके बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही करते हुऐ निस्तारण किया जाना उचित व न्याय संगत होते हुऐ भी ऐसा नहीं किया गया व सोहनराम वार्ड पंच आदि के दबाव व राजनेतिक प्रभाव के कारण द्वैषतापूर्वक अपीलांट के विरूद्व मिथ्या रिपोर्ट करवाई गयी व उसके संबंध में तहसीलदारजी ने जवाब व साक्ष्य सबूत अपीलांट्स से लिये बिना सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

अपीलांट के खेत के पास जितनी चौड़ाई में नक्शा अनुसार रास्ता था आज दिन ग्रेवल सड़क के रूप में खुला है व तहसीलदारजी ने अपने स्तर पर इस संबंध में कोई जांच किये बिना ही व पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को आधार बना कर व पटवारी के सशपथ बयान लेकर परीक्षित किये बिना व उससे जिरह करने का अपीलांट को अवसर दिये बिना एकतरफा में निर्णय पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के विरूद्व अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है उससे साक्ष्य सबूत, जवाब लेकर व पटवारी के बयान लेकर उससे जिरह का अवसर देकर व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विशेष परिस्थितियो उत्पन्न होने पर स्वयं के स्तर पर जांच करके सत्यता का पता लगाना चाहिए जबकि ऐसी विधिक प्रक्रिया की प्रकरण हाजा में लैस मात्र भी पालना नहीं की गयी है जिससे भी निर्णय जैर अपील स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है तथा गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी के कारण अपीलांट को येन केन तंग परेशान करने व जल्दबाजी में अतिक्रमी घोषित करवा कर निर्णय पारित करवाने व तत्पश्चात पश्चातवर्ती अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट करवा कर उतरोतर दण्डित करवाने के षड़यंत्र के तहत सारी कार्यवाही की होने से अपीलांट के साथ अन्याय हुआ है जवाब व साक्ष्य सबूत से वंचित रहा है उसकी पीठ पिछे निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो मौके की स्थिति के विपरीत है इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश/निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व, बिना सुने, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से खारिज फरमाया जावे।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम लूणदा के खसरा नम्बर 05 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर सींव कायम कर ली तथा बाड़ लगा ली थी। इस आशय की शिकायत तहसीलदार को प्राप्त होने पर तहसीलदार,नागौर द्वारा भू0अभिलेख निरीक्षक,कुमारी एवं हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाया गया। उपरोक्त कार्मिकों द्वारा दिनांक

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

30.05.2024 को सीमाज्ञान कर रास्ता के चिन्ह कायम कर दिये तथा अपीलांट का रास्ता की भूमि पर कब्जा रकबा 0.03 हैक्टयर पर पाये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व टी0पी0 रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार,नागौर में पेश करने पर तहसीलदार,नागौर द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे निर्णय दिनांक 18.09.2024 को पारित करते हुवे अपीलांट को अतिक्मी मानते हुए जुर्माना एवं बेदखली के आदेश दिये हैं,जो विधिवत दिये गये हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रकट हैं कि पटवारी (भू0)अभिलेख भवाद एवं निरीक्षक(भू0अभिलेख) मण्डल,कुमारी ने संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 24.07.2024 को तैयार कर तहसीलदार,नागौर के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की हैं कि ग्राम लूणदा के खसरा नम्बर 05 रकबा 0.03 है0 किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता पर मानाराम पुत्र श्री अणदाराम जाति–जाट,निवासी सुखवासी द्वारा सम्वत् 2081 में जरिये सींव व बाड़ कर नाजायज कब्जा कर लिया हैं।

तहसीलदार,नागौर के समक्ष उपरोक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहसीलदार,नागौर द्वारा गैर सायल के विरूद्व प्रकरण दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिऐ नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया हैं। प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 03.09.204 को अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित एवं जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया समय दिया गया की आदेशिका में इन्द्राज हैं। दिनांक 18.09.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में निर्णय पारित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में अपीलांट अभिभाषक का यह कथन रहा हैं कि अपीलांट एवं उनके अभिभाषक दिनांक 18.09.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जबाब लेकर उपस्थित हुवे परन्तु उनका जबाब प्रकरण में फाइल नहीं किया गया एवं उनके विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट अभिभाषक द्वारा जबाब लेकर जाना एवं जबाब फाइल नहीं करने के कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं केवल मौखिक आधार पर यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं हैं।

अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का एवं भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई टी0पी0 रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया गया हैं कि ग्राम लूणदा के खसरा नम्बर 5 रकबा 0.03 है0 किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता पर मानाराम पुत्र अणदाराम द्वारा सींव व बाड़ के जरिऐ अतिक्मण किया हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्मण किया हैं। खसरा नम्बर 05 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अधिकार स्वरूप कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं एवं न ही अपील के साथ प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अनुसार मौजा लूणदा के खसरा नम्बर 5 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.3399 है0 का सीमाज्ञान रूबरू खातेदारान एवं मौतबिरान पंचायत प्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत भवाद के रूबरू सीमाज्ञान कर रास्ता के चिन्ह कायम किये अंकन किया हैं। जिससे भी यह प्रगट हैं कि रास्ता की भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर अतिक्मण पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई हैं। वकील अपीलांट का यह कथन रहा कि यह तो मौका रिपोर्ट हैं सीमाज्ञान रिपोर्ट नहीं

कलक्टर नागौर

हैं? रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अवलोकन से इसमें सीमाज्ञान करने का स्पष्ट उल्लेख किया हैं,इसलिए वकील अपीलांट का यह कथन मानने योग्य नहीं बनता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम लूणदा के खसरा नम्बर 05 की किस्म गै0मु0 रास्ता हैं इसलिए राजकीय भूमि गै0मु0 रास्ता पर अपीलांट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी उनके द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिचार किया जाने पर तहसीलदार,नागौर द्वारा निर्णय पारित कर अतिक्रमी घोषित करते हुवे बेदखली एवं जुर्माना का निर्णय दिनांक 18.09.2024 पारित किया हैं,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.09.2024 को यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर